# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला शाहपुरा

पीठासीन अधिकारी श्रीकान्त व्यास आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर – 131 / 2020 राजस्व प्रार्थना पत्र

**उनवान**

1– श्री नृरसिंहद्वारा मंदिर स्थान माण्डल जरिये प्रबंधक पुजारी राधेश्याम दास गुरू गंगादास जी साधु निवासी माण्डल तहसील माण्डल।

–प्रार्थीगण

बनाम

1– भैरूदास पिता भुरदास जी बैरागी निवासी दांतानिलावरी तहसील बनेड़ा।
2– भैरू पिता कालु जाट निवासी दांतानिलावरी तहसील बनेड़ा।
3– नन्दराम पिता गंगाराम बलाई निवासी दांतानिलावरी तहसील बनेड़ा।
4– लेहरूलाल पिता सवाईराम जाट निवासी दांतानिलावरी तहसील बनेड़ा।
5– तहसीलदार बनेड़ा।

–अप्रार्थीगण

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956**

**अधिवक्ता प्रार्थी:– अरूण चन्द्र देराश्री**

## निर्णय

**दिनांक :– 17 / 05 / 2024**

**प्रार्थी** की और से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज० भू० राज० अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि **ग्राम** दांतानिलावरी **पटवार हल्का बालेसरिया भू.अ. निरीक्षक क्षैत्र रायला तहसील बनेड़ा जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 के खाता सं. 344 के आराजी नम्बर 870, 871, 876, 877, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889 कुल** किता **15 रकबा 2.8456 है0** भूमि के खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजियात की भूमि के विपक्षीगण पडौसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए **प्रार्थी** अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

**प्रार्थी** का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी हेतु सम्मन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया गया। पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबंदी का अवलोकन किया गय **ग्राम** दांतानिलावरी **पटवार हल्का बालेसरिया भू.अ. निरीक्षक क्षैत्र रायला तहसील बनेड़ा जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 के खाता सं. 344 के आराजी नम्बर 870, 871, 876, 877, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889 कुल** किता **15 रकबा 2.8456 है0** भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज होकर है। **प्रार्थी** अपने खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार का हक व अधिकार तय नहीं होते है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर **प्रार्थी** का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट बनेड़ा-शाहपुरा

## // आदेश //

**प्रार्थी** का प्रार्थना पत्र धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम दांतानिम्बाहेड़ी पटवार हल्का बालेश्वरिया भू.अ.निरीक्षक वृत्त सयला तहसील बनेड़ा जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 के खाता सं. 344 के आराजी नम्बर 870, 871, 876, 877, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889 कुल किता 15 रकबा 2.8456 है0 भूमि सीमा ज्ञानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये भू0अ0निरीक्षक सयला को 1200/- रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर उभयपक्षकारान को लिखित नोटिस तामिल करा उन्हें मौके पर उपस्थित रहने हेतु पाबंद करावे। कमिश्नर फीस प्रकरण मौके पर जमा करावें। पत्थरगढ़ी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थी की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रेकार्ड में फेरबदल नहीं किया जावे। यदि **प्रार्थी** की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयों में कार्यवाही विचाराधीन होने एवं स्थगन होने पर पत्थरगढ़ी कार्य नहीं किया जावे। अतः भू0अ0निरीक्षक सयला जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण व विपक्षीगण की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये तहसीलदार बनेड़ा को पालना हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक **17-05-2024** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर कोर्ट मुख्यालय पर सुनाया गया।

(श्रीकान्त व्यास)
उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा जिला शाहपुरा